

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3050
13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी

3050. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश भर, विशेषकर मुम्बई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं से लाभान्वित होने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी है;
- (ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार कुल कितने शिशुओं को टीके लगाए गए;
- (ग) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्थापित निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों और आगामी वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में उक्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत/पंजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित ग्रामीण महिलाओं की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): दादरा एवं नगर हवेली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मुंबई सहित देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं से लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार टीकाकरण किए गए शिशुओं की कुल संख्या अनुलग्नक-II में है।

(ग): सरकार क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों और सामान्य समीक्षा मिशनों (सीआरएम) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और सुदृढीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं;

- एएनएम, आशा और सीएचओ जैसे फील्ड स्तर के कार्यकर्ता अंतरवैयक्तिक संचार के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं।
- पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सहित कई चैनलों के माध्यम द्वारा राज्य सरकारों के साथ संचार।
- जनसंचार माध्यमों सहित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) कार्यनीतियों के माध्यम से योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार।
- विभिन्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों और जिलों में सहायक पर्यवेक्षी दौरों की एक प्रणाली भी है।

(घ): योजना के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं सहित सभी गर्भवती महिलाएं विभिन्न केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के तहत पात्र हैं। लाभार्थियों का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3050 के भाग (क) और (घ) उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-1

2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) से लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेएसएसके के अंतर्गत लाभान्वित गर्भवती महिलाएं *	पीएमएसएमए के अंतर्गत एएनसी जांच**
	अखिल भारत	21,38,919	34,43,654
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,705	1,568
2	आंध्र प्रदेश	20,002	5,45,700
3	अरुणाचल प्रदेश	3,441	10
4	असम	1,75,162	11,931
5	बिहार	1,16,761	6,90,406
6	चंडीगढ़	5,242	0
7	छत्तीसगढ़	95,849	1,28,145
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	377	5471
	दादरा और नगर हवेली	103	4456
9	दिल्ली	258	364
10	गोवा	1,990	6,476
11	गुजरात	1,76,300	1,36,601
12	हरियाणा	62,665	1,58,751
13	हिमाचल प्रदेश	1,750	31,274
14	जम्मू और कश्मीर	19,578	17,587
15	झारखंड	36,329	13,175
16	कर्नाटक	1,69,873	3,49,388
17	केरल	2,289	947
18	लद्दाख	295	1,041
19	लक्षद्वीप	309	123

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेएसएसके के अंतर्गत लाभान्वित गर्भवती महिलाएं *	पीएमएसएमए के अंतर्गत एएनसी जांच**
20	मध्य प्रदेश	1,95,662	20,888
21	महाराष्ट्र	3,54,199	1,93,876
	मुंबई	16,415	0
22	मणिपुर	5,013	3,724
23	मेघालय	48,932	39,803
24	मिजोरम	1,620	3,396
25	नगालैंड	1,193	314
26	ओडिशा	43,430	1,304
27	पुदुचेरी	0	130
28	पंजाब	34,889	29,220
29	राजस्थान	56,843	2,97,130
30	सिक्किम	1,134	738
31	तमिलनाडु	1,40,152	72,879
32	तेलंगाना	7,516	1,20,686
33	त्रिपुरा	8,542	14,111
34	उत्तर प्रदेश	3,13,988	5,45,753
35	उत्तराखंड	14,160	744
36	पश्चिम बंगाल	21,471	0

स्रोत: *एचएमआईएस पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और **पीएमएसएमए पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अनुलग्नक-1 (जारी)

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या और 2023-24 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत मातृत्व लाभ प्रदान किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत लाभार्थी*	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत मातृत्व लाभ**
	अखिल भारत	1,02,54,979	27,19,505
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	226	910
2	आंध्र प्रदेश	2,54,588	1,61,068
3	अरुणाचल प्रदेश	17,847	1,857
4	असम	3,28,013	1,97,057
5	बिहार	13,70,438	1,12,558
6	चंडीगढ़	203	3,268
7	छत्तीसगढ़	3,58,625	86,602
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,474	2,914
9	दिल्ली	3,648	48,345
10	गोवा	372	1,691
11	गुजरात	2,25,784	1,71,885
12	हरियाणा	31,587	13,864
13	हिमाचल प्रदेश	8,987	9,400
14	जम्मू एवं कश्मीर	63,536	13,561
15	झारखंड	4,79,039	73,986
16	कर्नाटक	4,02,122	1,70,928
17	केरल	49,884	84,175
18	लद्दाख	3,241	1,947
19	लक्षद्वीप	770	638
20	मध्य प्रदेश	10,16,205	4,25,777
21	महाराष्ट्र	3,70,408	97,727
22	मणिपुर	2,330	10,423

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत लाभार्थी*	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत मातृत्व लाभ**
23	मेघालय	18,050	4,992
24	मिजोरम	13,491	2,890
25	नगालैंड	11,730	3,185
26	ओडिशा	4,21,699	0
27	पुदुचेरी	5,290	265
28	पंजाब	57,012	95,035
29	राजस्थान	10,40,390	2,10,892
30	सिक्किम	2,800	924
31	तमिलनाडु	3,07,030	2,86,844
32	तेलंगाना	2,85,608	0
33	त्रिपुरा	16,235	8,855
34	उत्तर प्रदेश	25,68,228	3,63,626
35	उत्तराखंड	78,828	51,416
36	पश्चिम बंगाल	4,38,261	0

स्रोत: *राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट में बताए गए आंकड़े।

**सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3050 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

9 महीने से <12 महीने वाले पूर्ण टीकाकृत बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
	अखिल भारत	2,25,80,917	2,44,97,846	2,45,20,183
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,780	3,624	3,519
2	आंध्र प्रदेश	8,02,779	8,29,027	8,21,722
3	अरुणाचल प्रदेश	19,294	20,816	20,667
4	असम	5,73,816	5,80,763	5,86,920
5	बिहार	24,60,232	28,82,513	26,52,618
6	चंडीगढ़	13,290	16,051	15,781
7	छत्तीसगढ़	5,53,092	5,91,763	6,02,535
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,966	12,048	12,242
9	दिल्ली	2,47,914	2,69,364	3,08,042
10	गोवा	14,761	15,827	16,909
11	गुजरात	11,71,311	12,18,407	12,83,537
12	हरियाणा	4,59,665	5,12,339	5,06,860
13	हिमाचल प्रदेश	99,002	98,144	95,407
14	जम्मू और कश्मीर	2,15,710	2,24,740	2,16,767
15	झारखंड	6,84,707	7,11,562	7,45,994
16	कर्नाटक	9,63,500	10,27,231	10,63,569
17	केरल	3,84,974	4,04,915	3,84,480
18	लद्दाख	3,902	4,252	4,082
19	लक्षद्वीप	1,035	893	1,077
20	मध्य प्रदेश	17,36,104	18,80,717	18,88,623

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
21	महाराष्ट्र	16,92,157	18,54,535	18,44,526
22	मणिपुर	29,711	32,838	34,997
23	मेघालय	68,180	71,296	70,497
24	मिजोरम	16,571	17,313	17,644
25	नगालैंड	14,724	15,416	16,370
26	ओडिशा	6,90,551	6,93,749	6,50,355
27	पुदुचेरी	13,303	13,959	13,043
28	पंजाब	3,68,611	4,13,899	4,03,382
29	राजस्थान	13,32,524	14,07,186	14,07,201
30	सिक्किम	6,929	6,659	6,867
31	तमिलनाडु	8,76,216	9,12,502	9,03,267
32	तेलंगाना	6,26,896	6,47,237	6,53,908
33	त्रिपुरा	48,475	50,155	50,024
34	उत्तर प्रदेश	48,36,056	55,86,355	56,49,482
35	उत्तराखंड	1,69,829	1,74,677	1,74,890
36	पश्चिम बंगाल	13,70,350	12,95,074	13,92,379

स्रोत: एचएमआईएस पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
